

# न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-31/2015-16

कौसर परवेज बनाम गोती चन्द प्रसाद बगैरह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई नबारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
31/3/18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक के द्वारा यह वाद दानापुर अंचल तौजी सं० 5059 मौजा बबकरपुर, थाना नं० 35, खाता नं० 11, खेसरा नं० 257, 258 एवं 239 कुल रकबा 99डी० के लिए विपक्षी गोती चन्द प्रसाद एवं कृष्ण कुमार साह दोनों के पिता स्व० लक्ष्मण प्रसाद साह, ग्राम-ताराचक गैनपुरा, थाना-दानापुर, जिला-पटना के नाम पर कायम जमाबंदी सं० 53 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।</p> <p>आवेदन के शिडयूल-1 में खेसरा सं० 257 के स्थान पर टंकण मूलवश खेसरा सं० 357 टंकित हो गया है, जिसके सुधार हेतु आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकृत किया गया।</p> <p>विपक्षीयण को सामान्य एवं निबंधित नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षीयण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 03.08.2016 के दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षीयण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की गयी।</p> <p>आवेदक का कथन है कि</p> <p>(1) विवादित खाता नं० 11 खेसरा सं० 257, 258, 239 कुल रकबा 99डी० जमीन के मूल मालिक मौलवी जमील अहमद वन्द मो० अब्दुल रहीम सावित्रा मोईर्मपुर शंकर, थाना-दानापुर, जिला-पटना थे।</p> <p>(2) मौलवी जमील अहमद ने अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड दिनांक 01.04.1940 के निबंधित फेवाला से आवेदक के दादा हाजी अहमद अली, चाचा मो० अमीन उद्दीन, मो० मतीन उद्दीन एवं आवेदक के पिता मो० मुस्तकीम के पक्ष में विक्री कर दिया।</p> <p>(3) खरीदगी की तिथि 01.04.1940 से आवेदक के दादा, पिता एवं चाचा विवादित भूखण्ड पर दखल में आये। हाजी अहमद अली की मृत्यु के उपरान्त घर की कर्ता आवेदक की दादी मोहिबन खातून हुयी। जमीन्दारी सन्मूलन के पश्चात अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी सं० 07 मोहिबन खातून के नाम से कायम की गयी तथा लगान अदा किया जाने लगा।</p> <p>(4) आवेदक के चाचा मो० अमीन उद्दीन ने अपने जीवन काल में</p>	

खाता सं० 11, खेसरा सं० 366, 397, 415 कुल रकवा 2.65 एकड़ की विक्री की, जो इस मुकदमा का विषय वस्तु नहीं है।

(5) आवेदक के दादा हाजी अहमद अली, आवेदक की दादी मोहिबन खातून अथवा आवेदक के पिता एवं चाचा के द्वारा विवादित भूखण्ड की विक्री अथवा हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया गया है।

(6) मो० अमीन उद्दीन एवं मो० मतीन उद्दीन की मृत्यु संयुक्त परिवार में रहते हुए निरांतान हो गयी। इस प्रकार सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आवेदक के पिता मो० मुस्तकीम दखल में आये। मो० मुस्तकीम की मृत्यु के उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र कैसर परवेज (आवेदक) प्रश्नगत भूखण्ड सहित अन्य भूखण्ड पर दखलकार हैं।

(7) विपक्षीयण के द्वारा विवादित भूखण्ड की जमाबंदी सं० 53 गलत ढंग से अपने नाम से कायम करवा ली गयी है, जबकि प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी बहुत पूर्व से उनकी दादी मोहिबन खातून के नाम से कायम है।

(8) आवेदक के द्वारा विपक्षीयण के नाम से विवादित भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं० 53 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया-प्रति दाखिल की गयी हैं।

(1) दिनांक 01.04.1940 का निबंधित वसीका एवं उसका हिन्दी अनुवाद जिसके अनुसार विवादित भूखण्ड सहित कुल 5.09 एकड़ की विक्री मोलवी जमील अहमद के द्वारा मुंशी हाजी अहमद, मो० अमीन उद्दीन, मो० मुस्तकीम एवं मो० मतीन उद्दीन को की गयी है।

(2) दिनांक 20.05.1949 का निबंधित वसीका एवं उसका हिन्दी अनुवाद, जिसके अनुसार खेसरा सं० 366, 397 एवं 415 कुल रकवा 2.64 एकड़ की विक्री मो० अमीन उद्दीन के द्वारा बाबू राजकुमार राय को की गयी है।

(3) मोहिबन खातून की जमाबंदी सं० 7 पर निर्गत वर्ष 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1961-62, 1963-64 एवं 1965-66 की लगान रसीद

(4) मो० मुस्तकीम का पहचान पत्र

(5) कैसर परवेज का पहचान पत्र

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड अन्य भूखण्ड के साथ दिनांक 01.04.1940 के निबंधित केवाला से आवेदक के दादा, पिता एवं चाचा के नाम से संयुक्त रूप से खरीदी गयी थी।

(2) दिनांक 01.04.1940 के केवाला से खरीदे गये भूखण्डों में से ही खेसरा सं० 366, 397 एवं 415 कुल रकवा 2.64 एकड़ की विक्री आवेदक के चाचा मो० अमीन उद्दीन के द्वारा बाबू राज कुमार राय को दिनांक

20.05.1949 के विवादित केवाला से की गयी। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दिनांक 01.04.1940 के केवाला से खरीदे गये भूखण्ड पर आवेदक के दादा एवं बाबा का दखल कब्जा था।

(3) आवेदक के दादी मोहिवन खातून के नाम से तौजी सं० 5059 रकबा 3 बीघा 15 कड़ठा 7 धूर की जमाबंदी सं० 7 वर्ष 1956-57 से कायम है, जो मोहिवन खातून के नाम से निर्गत लगान रसीद से प्रमाणित होता है।

(4) विपक्षीगण के नाम से विवादित भूखण्ड के लिए जमाबंदी सं० 53 किस आधार पर कायम की गयी, इसके संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षीगण को द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने से इस आशंका को दल मिलता है कि विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी का कोई वैध आधार नहीं है।

(5) आवेदक के द्वारा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं० 53 को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु उक्त जमाबंदी को रद्द करने से पूर्व इस न्यायालय के स्तर से इस बात की जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं० 53 के कायम किए जाने का जमाबंदी फंजी में क्या आधार अंकित किया गया है।

अतः अंचलाधिकारी, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह के अन्दर मौजा बबकरपुर थाना नं० 35 में खाता नं० 11, खेसरा नं० 257, 258 एवं 239 कुल रकबा 99डी० के लिए विपक्षीगण के नाम से दर्ज जमाबंदी सं० 53 के कायम किए जाने के संबंध में अपना जांच प्रतिवेदन मजना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम निर्णय अंचल अधिकारी, दानापुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।

अभिलेख दिनांक 05.05.2018 को रखें।

लेखांकित एवं संशोधित।

31/2/18

(वज्रें उद्दीन अंसारी)  
अपर समाहर्ता, पटना

31/2/18

(वज्रें उद्दीन अंसारी)  
अपर समाहर्ता, पटना

